

राजस्थान-सरकार
शिक्षा (गुप-6) विभाग

क्रमांक:-पं. (28)/शिक्षा(गुप-6)/स्थाना./2019/

जयपुर दिनांक: 29.09.2019

:: आदेश ::

निम्नलिखित व्याख्याता (महाविद्यालय) का प्रशासनिक/स्वैच्छिक आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	चन्द्र प्रकाश जोशी	व्याख्याता (वाङ्मय)	राआसमहावि, अजमेर	राआसमहावि, अजमेर	वाङ्मय के पद पर
2.	विनय चंद झा	व्याख्याता (वाङ्मय)	राआसमहावि, अजमेर	राशासमहावि, पीठ, डूंगरपुर	प्रशासनिक
3.	सीताराम महावर	व्याख्याता (व्याकरण)	राशासमहावि, चौथवाडी जयपुर	राशासमहावि, तलाब गांव, लालसोट, दौसा	स्वैच्छिक
4.	हंसराज गुप्ता	व्याख्याता (संस्कृत)	राआसमहावि, कोटा	राशासमहावि, तलाब गांव, लालसोट, दौसा	स्वैच्छिक
5.	अनिल कुमार अग्रवाल (ग्रास्वैसेवा)	व्याख्याता (हिन्दी)	राशासमहावि, सरमथुरा, धौलपुर	राशासमहावि, चौथवाडी, जयपुर	स्वैच्छिक
6.	नन्द लाल शर्मा	व्याख्याता (सामा. संस्कृत)	राआसमहावि, भरतपुर	राशासमहावि, सरमथुरा, धौलपुर	प्रशासनिक
7.	रणजीत कुमार झा	व्याख्याता (यजुर्वेद)	राआसमहावि, अजमेर	राशासमहावि, कालाडैरा, जयपुर	प्रशासनिक
8.	रतीराम मीणा	व्याख्याता (व्याकरण)	राशासमहावि, तलाब गांव, लालसोट, दौसा	राशासमहावि, दौसा	स्वैच्छिक

नोट:- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। सूची में जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता व योगकाल देय होगा।

Sd.
(हरजी लाल अटल)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. विशिष्ट सहायक, मान. संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रधान को भेज कर लेख है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
4. कार्यालयाध्यक्ष निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. संबंधित प्राचार्य/व्याख्याता।
6. वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

संयुक्त शासन सचिव
29/9